याचिका निम्नोक्त याचिकाकर्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से जारी :

- डॉ. जी. जी. परीख, मुंबई (प्रख्यात गांधीवादी समाजवादी नेता; संपादक, जनता साप्ताहिक)
- न्यायमूर्ति बी. जी. कोळसे-पाटील, पुणे (सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मुंबई उच्च न्यायालय)
- मेधा पाटकर, बडवानी, मध्य प्रदेश (नर्मदा बचाओ आंदोलन; जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय)
- पद्मश्री देवनूरु महादेवा, बेंगलूरु (प्रख्यात कन्नड लेखक)
- जिग्नेश मेवाणी, अहमदाबाद (विधायक, वडगाम, गुजरात विधान सभा; राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच)
- अरुणा रॉय, राजसमंद, राजस्थान (मज़दूर किसान शक्ति संगठन)
- प्रा. अनिल सद्गोपाल, भोपाल (भूतपूर्व डीन, दिल्ली विश्वविद्यालय; अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंच)
- प्रा. जगमोहन सिंह, लुधियाना (असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक राइट्स)
- डुनु रॉय, दिल्ली (FREA के भूतपूर्व सदस्य; फ़िलहाल संचालक, हेज़ार्ड्स सेंटर, दिल्ली)
- डॉ. प्यारे लाल गर्ग, चंडीगढ़ (भारत ज्ञान विज्ञान समिति, पंजाब)
- डॉ. इम्राना क़ादीर, दिल्ली (भूतपूर्व प्राध्यापक, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय; फ़िलहाल महानुभवी प्राध्यापक, काउन्सिल फ़ॉर सोशल डेव्हलपमेंट, नई दिल्ली)
- डॉ. एस. पी. उदयकुमार, नागरकोईल, तमिल नाडु (परमाणु ऊर्जा विरोधी जन आंदोलन)
- अविक सहा, दिल्ली (स्वरज अभियान)
- प्रा. रूप रेखा वर्मा, लखनऊ (भूतपूर्व कार्यकारी कुलगुरू, लखनऊ विश्वविद्यालय; सचिव, साझी दुनिया)
- नीरज जैन (लोकायत, पुणे; सहसंपादक, जनता साप्ताहिक, मुंबई)
- प्रा. सुभाष वारे, पुणे (एस. एम. जोशी सोशलिस्ट फ़ाउंडेशन, पुणे)
- प्रा. आर. रामानुजम, चेन्नई (गणित विज्ञान संस्थान, चेन्नई; तमिल नाडु विज्ञान मंच)
- प्रा. इंद्राणी दत्ता, गुवाहाटी (प्राध्यापक, कॉटन विश्वविद्यालय, गुवाहाटी)
- प्रा. वी. वसंती देवी, चेन्नई (भूतपूर्व कुलगुरू, एम. एस. विश्वविद्यालय, तमिल नाडु; फ़िलहाल अध्यक्ष, स्कूली शिक्षा संरक्षण आंदोलन, तमिल नाडु)

<u>मई दिवस (1 मई) के सम्मान में</u>

कोरोना महामारी और उसकी वजह से हुए बहुआयामी सामाजिक-आर्थिक देशव्यापी भारी नुकसान से जूझने हेतु कोष जुटाने के लिए देश के सबसे दौलतमंद एक फ़ीसद लोगों पर '2% आपात्कालीन कोरोना कर' लगाने की प्रधानमंत्री से अपील

प्रति,
प्रधानमंत्री,
भारत सरकार
नई दिल्ली

14 अप्रैल 2020 को राष्ट्र के नाम किए गए अपने संबोधन में आपने देशव्यापी तालाबंदी (लॉकडाऊन) को 3 मई तक आगे बढ़ाने एलान किया। आपका तर्क था कि तालाबंदी की वजह से अब तक कोरोनावायरस की महामारी के फैलाव पर नियंत्रण करना मुमकिन हो पाया है लेकिन अंततः इसको हराने के लिए तालाबंदी को आगे बढ़ाना ज़रूरी है। आपने लोगों को और अधिक **'संयम, तपस्या और त्याग'** करने का आव्हान भी दिया था।

राहत पैकेज : अपर्याप्त और आधा-अधूरा

लेकिन आपने न तो इस संबोधन में और न ही अपने पिछले संबोधनों में एक बार भी उन लाखों लोगों का ज़िक्र किया जो तालाबंदी की वजह से अचानक अपने रोज़गार खो बैठे हैं और आज भुखमरी के कगार पर हैं। इनमें से ज़्यादतर लोग असंगठित क्षेत्र के हैं जो देश के कामगारों (यानी उत्पादक वर्ग) का 93% हैं। इनमें से बड़ी संख्या, लगभग 14 करोड़ तक, उन लोगों की है जो दूर-दराज के गावों से आए प्रवासी मज़दूर हैं। जब पहली तालाबंदी का एलान किया गया था तब 24 मार्च की आधी रात को रेलगाड़ियां, बसें और ट्रकें बंद करने के पहले केवल 4 घंटे से कम समय का नोटिस दिया गया था जिसमें उनके लिए अपना सामान बांधना, घर जाने के लिए पैसों का इंतजाम करना और कोई भी सार्वजनिक वाहन पकड़ना नामुमकिन था।

इस पृष्ठभूमि में इतनी बड़ी तादाद में कामगारों के लिए 26 मार्च को आपकी सरकार के द्वारा जिस राहत पैकेज का एलान किया गया वह निहायत अपर्याप्त व आधा-अधूरा था। संविधान के अनुच्छेद 21 के मुताबिक केंद्रीय और राज्य/यू.टी. सरकारों की जवाबदेही है कि वे बेरोजगार किए गए कामगारों, चाहे वे संगठित क्षेत्र के हों या असंगठित क्षेत्र के, तालाबंदी और उसके बाद भी 'सम्मानजनक जीवन' जीने के लिए उनकी सभी ज़रूरतों को – महज़ दो-समय का भोजन नहीं – पूरा करें। लेकिन, आपकी सरकार ने महामारी के फैलाव को धीमा करने के नाम पर खर्च कम करने के लिए आनन-फ़ानन में बगैर किसी योजनाबद्ध तरीके से तालाबंदी को लागू कर दिया। इसके चलते देश की पूरी अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई और देश के विभिन्न राज्यों के प्रवासी मज़दूरों में अनिश्चितता और भय फैल गया।

कोरोना परीक्षण (टेस्टिंग) : 'सार्वजनिक जनस्वास्थ्य व्यवस्था' को पुनर्जीवित करने की चुनौती

आपने 14 अप्रैल के अपने संबोधन में कोविड-19 के मरीजों के लिए शहरी इलाकों में पिछले कुछ हफ़्तों में अतिरिक्त मेडिकल सुविधाएं देने का ज़िक्र ज़रूर किया था। लेकिन, शहरी व ग्रामीण और साथ ही दूरदराज़ के आदिवासी इलाकों में 'सार्वजनिक जनस्वास्थ्य व्यवस्था' निहायत कम खर्च और अनदेखी के चलते पूरी तरह बदहाल हो चुकी है। हमारा मानना है कि इस बदहाली की वजह से ही आपकी सरकार कोरोनावायरस के पीड़ितों के परीक्षण (टेस्टिंग) का दायरा बढ़ा नहीं रही है (27 अप्रैल को परीक्षण की दर प्रति लाख लोगों पर महज़ 48.2 थी; इसी वजह से दुनिया के 173 मुल्कों में परीक्षण दर के हिसाब से भारत 142वें पायदान पर था)। उपरोक्त संबोधन में 'सार्वजनिक जनस्वास्थ्य व्यवस्था' पर सरकारी खर्च बढ़ाने के मुद्दे पर आपकी खामोशी समझ के परे है।

दरअसल, देश को कोरोनावायरस परीक्षण (टेस्टिंग) के आधार पर पहचाने गए अधिक बीमारी वाले इलाकों को ज़िला-स्तर पर चिन्हित करने की सोची-समझी रणनीति की ज़रूरत है ताकि इन इलाकों पर फ़ोकस किया जा सके और परीक्षण किट की कमी के बावजूद उनका कारगर इस्तेमाल हो सके। सफलता की कुंजी जनता का विश्वास पाने व सहभागिता में है न कि खौफ़ व दंड का माहौल खड़ा करने में, जैसाकि आज हो रहा है। चूंकि कोरनटाइन, अलग-थलग रखने (आइसोलेशन) और इलाज की पर्याप्त सुविधाएं मौजूद नहीं हैं, इसलिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों व उप-केंद्रों के स्तर पर 'सामुदायिक अलग-थलग (आइसोलेशन) केंद्रों' की सुविधाएं खड़ी करना आज की प्राथमिकता है। सिर्फ उन्हीं मरीज़ों को अस्पताल भेजना चाहिए जिन्हें उस तरह के सांस्थानिक इंतजाम की ज़रूरत हो। आज सरकार का पूरा ध्यान केवल अस्पतालों पर है जबकि जिसे 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन' के पूरे ढांचे को मजबूत करने पर फ़ोकस करने की तात्कालिक ज़रूरत है। कोरोना महामारी की घेराबंदी (कंटेनमेंट) करने के लिए समुदाय से और ज़्यादा लोगों को प्रशिक्षित करना लाज़मी है ताकि उन सब लोगों को चिन्हित किया

जा सके जो संक्रमित लोगों के संपर्क में आ चुके हैं और फिर उनका जल्द-से-जल्द कोरोनावायरस-परीक्षण किया जाए, चाहे वे बगैर लक्षणों के क्यों न हों। ज़ाहिर है कि तालाबंदी महामारी के फैलाव को धीमा कर सकती है बशर्ते कि हम संपर्कों को चिन्हित करने और उनका परीक्षण करने का काम योजनाबद्ध तौरतरीकों व सतर्कता से करें। **अगर ऐसा नहीं किया गया तो तालाबंदी ने जो मौका दिया है वह बर्बाद हो जाएगा।**

अखबारों की रपटों से पता चल रहा है कि आपकी सरकार तालाबंदी में चरणवार ढील देने पर विचार कर रही है। लेकिन, समानांतर परीक्षण, संपर्कों को चिन्हित करने, कोरनटाइन, अलग-थलग रखने और समर्थक इलाज की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई तो योजना-विहीन ढील देने की वजह से कोरोना महामारी फिर एक बार सिर उठाने का मौका पा जाएगी। हम जोर देकर कहना चाहते हैं कि **तालाबंदी अपने-आप में कोई इलाज नहीं है वरन् यह तार्किक व योजनाबद्ध कदम उठाने का महज़ मौका है**।

वैश्विक तज़ुर्बे (चीन, न्यूज़ीलैंड और दक्षिण कोरिया) से साफ़ है कि वायरस को नियंत्रित करने और हराने का एकमात्र तरीका परीक्षण को कई गुना बढ़ाना है ताकि सभी कोरोनावायरस पीड़ितों को चिन्हित किया जा सके, चाहे लक्षण हों या न हों, जिसके बाद कोरनटाइन और/या अलग-थलग करने और अगर उनके स्वास्थ्य में गिरावट आ रही हो, तो उनके लिए समर्थक इलाज का इंतज़ाम करने में है। ज़ाहिर है कि, आपकी सरकार के पास 'सार्वजनिक जनस्वास्थ्य व्यवस्था' पर किए जा कहे खर्च में भारी बढ़ोत्तरी करने के अलावा और कोई तार्किक विकल्प नहीं बचा है।

कोरोना महामारी-संबंधित बजट से गायब प्रावधान : राजनीतिक प्राथमिकताओं को बदलने की ज़रूरत

सार्वजनिक जनस्वास्थ्य व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के मायने हैं कि, वर्तमान प्रवाधान के अलावा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जीडीपी) का कम-से-कम 1.5% यानी लगभग रु. 3.4 लाख करोड़ खर्च करने का प्रावधान खड़ा किया जाए।

गौरतलब है कि देश के अस्पतालों में उपलब्ध कुल बिस्तरों के दो-तिहाई बिस्तर और 80 फीसदी वेंटीलेटर निजी क्षेत्र में हैं जबकि वहां कोविड-19 के गंभीर मरीजों में से महज़ 10 फीसदी का इलाज हो रहा है। आपकी सरकार की संविधान के अनुच्छेद 21 (सम्मानजनक जीवन जीने का हक) के तहत जवाबदेही है कि वह सभी निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम और निजी परीक्षण प्रयोगशालाओं – डॉक्टरों व पूरे स्टाफ़ समेत – को तुरंत अपने नियंत्रण में कर ले ताकि देश पूरी क्षमता के साथ कोविड-19 महामारी से तात्कालिक और पर्याप्त रूप से जूझ सके व उसे हरा सके।

अगर तालाबंदी में धीरे-धीरे ढील भी दी जाती है तो भी उसकी वजह से खड़ा हुआ आर्थिक संकट, खाद्य असुरक्षा और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, बेरोज़गारी का सामना जनता आनेवाले कई महीनों तक करती रहेगी। आपकी सरकार की यह सवैंधानिक जवाबदेही है कि पूरे देश में बेरोज़गार कर दिए गए लोगों के परिवारों को कम-से-कम आवश्यक राशन की सामग्री और अन्य ज़रूरतों के साथ-साथ रु. 4,000/- प्रति परिवार (लगभग 20 करोड़ परिवार) सुनिश्चित करने का पुख़्ता इंतजाम करे, चाहे उनके पास राशन कार्ड हो या न हो। यदि यह सहायता कम-से-कम दो महीने तक दी गई तो सरकार के लिए इसका खर्च लगभग रु. 2.4 लाख करोड़ होगा।

इसके अलावा, जब तक अर्थव्यवस्था नहीं सुधरती और शहरों में रोज़गार नहीं है, तब तक आपकी सरकार को आगामी कई महीनों के लिए 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी अधिनियम' ('मनरेगा') के तहत रोज़गार का

प्रावधान बढ़ाना पड़ेगा। साथ में, आपकी सरकार को शुरूआती चरण में कम-से-कम छोटे शहरों/कस्बों में भी 'मनरेगा' की तर्ज़ पर 'शहरी रोज़गार गारंटी स्कीम' लागू करनी होगी।

इस सबके मायने हैं कि आपकी सरकार को प्रस्तावित राहत पैकेज़ में भारी बढ़ोत्तरी करनी होगी – वर्तमान रु. 1.7 लाख करोड़ (जिसमें से लगभग आधी राशि बजट में किए गए पूर्व प्रावधान को महज़ नए नाम से पेश की गई है) को बढ़ाकर कम-से-कम रु.10 लाख करोड़ करना होगा।

दौलतमंद महा-अमीरों को आव्हान : 'संयम, तपस्या और त्याग' और संविधान का पालन करो!

आपकी सरकार उपरोक्त ज़रूरी धन का इंतजाम बेहद आसानी से देश के महा-अमीरों की दौलत पर 'आपात्कालीन कोरोना कर' लगाकर कर सकती है। 'ऑक्सफ़ैम' और 'क्रेडिट सुइस' (वैश्वक बाज़ार पर नज़र रखनेवाले संगठन) की रिपोर्टों के अनुसार सन् 2019 में भारत के सबसे अधिक दौलतमंद एक फ़ीसद लोगों के पास कुलमिलाकर रु. 381 लाख करोड़ की दौलत थी। अगर यह मानकर चला जाए कि उस दौलत में एक साल के दौरान 25 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है तो सन् 2020 में इसकी कीमत बढ़कर रु. 476 लाख करोड़ हो गई होगी। यदि इन महा-अमीरों की दौलत पर आपात्कालीन कदम बतौर 2% 'आपात्कालीन कोरोना कर' लगाया जाए तो आपकी सरकार को रु. 9.5 लाख करोड़ का अतिरिक्त राजस्व मिल जाएगा जो कि उपरोक्त सुझाए गए सभी कार्यक्रमों को लागू करने के लिए पर्याप्त साबित होगा।

> *देश के महा-अमीरों पर 2% 'आपात्कालीन कोरोना कर' के उपरोक्त प्रस्ताव का निर्देश संविधान के अनुच्छेद 38(2) में दिया गया है - "आमदनी की गैर-बराबरियों को न्यूनतम किया जाए"; और अनुच्छेद 39(ग) - "[सुनिश्चित किया जाए] . . . अर्थव्यवस्था ऐसी न हो कि दौलत का संकेंद्रण हो . . ." । इसलिए, हमारे प्रस्ताव को स्वीकार कर आप केवल संवैधानिक आदेशों का क्रियान्वयन करेंगे जिसके चलते आपने 14 अप्रैल को अपने संबोधन में बाबासाहेब डॉ. अंबेडकर को उनकी जयंती पर "हम, भारत के लोग" की ओर से जो श्रद्धांजलि दी थी उसकी विश्वसनीयता बढ़ जाएगी।*

हम आपका ध्यान एक बार फिर आपके 14 अप्रैल के संबोधन की ओर आकर्षित करना चाहते हैं जिसमें आपने देश के सभी नागरिकों को कोरोनावायरस महामारी को हराने के लिए **'संयम, तपस्या और त्याग'** बरतने का आव्हान दिया था। शायद इसी आव्हान से प्रभावित होकर आपके वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और केंद्रीय सरकार के पेंशन-भोगियों की महंगाई राहत को 18 माह के लिए रोकने का फ़ैसला लिया और साथ में सभी कर्मचारियों के वेतन में से एक साल के लिए हर माह एक दिन का वेतन काटने का भी। हमारा यह मानना गलत तो नहीं होगा कि आपका उपरोक्त आव्हान देश के सबसे दौलतमंद एक फ़ीसद महा-अमीरों पर भी लागू होता है चूंकि वे भी तो भारत के नागरिक हैं। लेकिन जैसाकि इस याचिका से ज़ाहिर है कि आपका आव्हान केवल विशाल असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, निम्न मध्यम वर्गों और सरकारी कर्मचारियों पर ही लागू होता है जो कि देश के 85% से ज़्यादा हैं।

दरअसल, कोई वजह नहीं है कि आपकी सरकार उपरोक्त महा-अमीरों (अरबपतियों व खरबपतियों) से भी अपनी दौलत का महज़ 2% देकर देश में फैल रही कोरोना महामारी को हराने और उससे उत्पन्न सामाजिक-आर्थिक विपदा से जूझने के लिए त्याग करने को न कहे (केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का घाटा उठाने के अलावा अपनी वार्षिक आमदनी में से 3% का त्याग करने के लिए कहा गया है!)। *आखिरकार, महा-*

अमीरों ने जो विशाल दौलत इक्टठी की है वह अवाम की "भौंह के पसीने" की कमाई से ही निकली है। "भौंह के पसीने" की अभिव्यक्ति को सन् 1882 में महात्मा जोतिराव फुले ने ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा अवाम से इक्टठे किए गए राजस्व का इस्तेमाल उच्च वर्गों और उच्च जातियों के फ़ायदे के लिए करने की नीति के संदर्भ में गढ़ा था।

हम, अधोहस्ताक्षरित, आपसे अपील करते हैं कि देश के सबसे दौलतमंद एक फ़ीसद लोगों पर 2% 'आपात्कालीन कोरोना कर' तत्काल प्रभाव से लगाया जाए और उससे प्राप्त अतिरिक्त राजस्व को आपकी सरकार द्वारा घोषित अपर्याप्त व आधे-अधूरे राहत पैकेज को कम-से-कम रु. 10 लाख करोड़ तक बढ़ाने के लिए किया जाए ताकि ऊपरोक्त प्रस्तावित सभी कदम समग्र नज़रिए व वैज्ञानिक ढंग से उठाकर देश के सामने कोरोनावायरस महामारी की वजह से खड़े हुए संविधान व इंसानियत के संकट से सफलतापूर्वक जूझा जा सके। ■